मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 3778 दिनांक – 30/12/2020

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक,
समस्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थायें
मध्यप्रदेश।

विषय– सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

***

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2020–23 के संस्थाओं से शुल्क विनियमन हेतु समिति, सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक / 93 दिनांक 24.01.2020 द्वारा एवं पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 102 दिनांक 27.01.2020 द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से शुल्क विनियमन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे।

उक्त जारी सूचना के तारतम्य में जिन संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक शुल्क का विनियमन नहीं कराया गया है, ऐसी संस्थाओं को सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2020–23 शुल्क विनियमन हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, ऐसी समस्त संस्थायें दिनांक 04.01.2021 तक ऑनलाईन के माध्यम से समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

उक्त तिथि के पश्चात् सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2020–23 के शुल्क विनियमन अनुरोध को समिति, सचिवालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / दिनांक–
प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी